भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-159

उत्तर देने की तारीख-04/12/2023

प्रथम चरण में खोले गए प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया

159. डॉ. भारतीबेन डी. श्यालः

डॉ. अरविन्द कुमार शर्माः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश भर में पीएम श्री स्कूल (प्रधान मंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) की स्थापना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रथम चरण के दौरान स्थापित किए जाने वाले ऐसे स्कूलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे स्कूलों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ग): मंत्रिमंडल ने 7 सितंबर, 2022 को प्रधान मंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) नामक एक नई केंद्र प्रायोजित योजना को अनुमोदित किया है। ये स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को निरूपित करेंगे और समय के साथ उदाहरणपरक स्कूलों के रूप में उभरेंगे तथा पास पड़ोस के अन्य स्कूलों को मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगे। ये एक ऐसे समान, समावेशी और आनंदपूर्ण स्कूल परिवेश में उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने में अपने-अपने क्षेत्रों की अगुआई करते हैं जो बच्चों की विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं और विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं पर ध्यान देता है और उन्हें एनईपी 2020 के विजन के अनुसार अपनी स्वयं की अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाता है।

इस योजना के तहत केंद्र सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ करके 14500 से अधिक पीएम-श्री स्कूलों की स्थापना का प्रावधान है। पीएम श्री स्कूलों के चयन के पहले चरण में, केवीएस/एनवीएस के साथ 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कुल 6207 स्कूलों का चयन किया गया था। पीएम-श्री योजना के तहत चयन के पहले चरण में अनुमोदित केवीएस/एनवीएस सहित स्कूलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

पीएम श्री योजना की प्रमुख पहलें, जो शिक्षा प्रदान करने की आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र पद्धति के रूप में उपयोग की जाएंगी, निम्नानुसार हैं:

1. गुणवत्ता और नवाचार (अधिगम संवर्धन कार्यक्रम, समग्र प्रगति कार्ड, अभिनव शिक्षण, बैगलेस दिन, स्थानीय कारीगरों के साथ इंटर्नशिप, क्षमता निर्माण आदि)
2. शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत लाभार्थी उन्मुख पात्रता
3. वार्षिक स्कूल अनुदान (समग्र स्कूल अनुदान, पुस्तकालय अनुदान, खेल अनुदान)
4. बालवाटिका सहित बाल देखभाल और शिक्षा व मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान
5. लड़कियों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडबल्यूएसएन) के लिए सुरक्षित और उपयुक्त अवसंरचना के प्रावधान सहित समता और समावेशन
6. छात्रों को प्रदान किए जाने वाले विषयों के चयन में लचीलेपन को प्रोत्साहन
7. शिक्षकों और छात्रों के बीच भाषा की बाधाओं को दूर करने में सहायता हेतु तकनीकी पहलों का उपयोग करके मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रोत्साहित करना
8. डिजिटल शिक्षाशास्त्र का उपयोग करने के लिए आईसीटी, स्मार्ट कक्षाएं और डिजिटल पुस्तकालय
9. मौजूदा अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण
10. व्यवसायपरक पहलों और विशेष रूप से स्थानीय उद्योग के साथ इंटर्नशिप/उद्यमिता के अवसरों को बढ़ाना। विकासात्मक परियोजनाओं/आस-पास के उद्योग के साथ कौशल मैपिंग को जोड़ना और तदनुसार पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या विकसित करना।

*****

<u>**अनुलग्नक**</u>

माननीय संसद सदस्य डॉ. भारतीबेन डी. श्याल और डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा द्वारा "प्रथम चरण में खोले गए प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया" के संबंध में दिनांक 04.12.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 159 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएम श्री योजना के तहत चयन के पहले चरण में चयनित स्कूलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केवीएस/एनवीएस-वार विवरण:

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चयनित पीएम श्री स्कूल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10
2	आंध्र प्रदेश	662
3	अरुणाचल प्रदेश	41
4	असम	266
5	चंडीगढ़	1
6	छत्तीसगढ़	211
7	डीएनडी-डीएनएच	6
8	गोवा	12
9	गुजरात	274
10	हरियाणा	124
11	जम्मू और कश्मीर	233
12	कर्नाटक	129
13	लद्दाख	14
14	लक्षद्वीप	8
15	मध्य प्रदेश	416
16	महाराष्ट्र	516
17	मणिपुर	69
18	मेघालय	22
19	मिजोरम	22
20	नगालैंड	9
21	पुदुचेरी	8
22	राजस्थान	402
23	सिक्किम	30
24	तेलंगाना	543
25	त्रिपुरा	57
26	उत्तराखंड	142
27	उत्तर प्रदेश	928
28	केवीएस	735
29	एनवीएस	317
	कुल	6207

नोट- 6 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (बिहार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल) भारत सरकार द्वारा लगातार अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद इस योजना का लाभ उठाने के लिए अभी तक ऑन-बोर्ड नहीं हुए हैं।

*****